

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक एफ.3(के-397/92/लिक.न.3531/अलेसे-11/

दिनांक:- मार्च 2015

कार्यालय आदेश

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड-11) कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, निवाई (जिला टोंक) जन्म तिथि 06.11.1962 ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2015 के द्वारा चाहेनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का निवेदन किया है । अतः इन्हें दिनांक 01.08.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड-11) के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अन्तर्गत विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.3(के-397/92/लिक.न.3531/अलेसे-11/17752-60 दिनांक:-27 मार्च 2015
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, निवाई (जिला टोंक)
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर
3. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड-11) कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, निवाई (जिला टोंक)
4. कोषाधिकारी, टोंक
5. उप निदेशक, (ए.सी.पी.) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संव्धारण हेतु ।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन शीट
8. निजी/गार्ड फाईल

(26/3/15)
(डा0 नोपाराम पारीक)